

मूल्य: रुपया 500/- (रुपये पाँच सौ) मात्र

:1:

Basic Price :- 500/- ₹. 500

Name of Contractor.....

Date of Application.....

Date of Issue of

Letter from.....

Date & time of 25/10/2021

Letter No. 11:00 AM

## निविदा प्रपत्र

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उप अंचल, कुम्हरार, पटना अंतर्गत केन्द्रीय संरक्षित स्मारक/स्थल, गोसाई खंडा, संदलपुर, पटना बिहार स्थित तालाब में मछली पालने, पकड़ने एवं उसकी साफ सफाई हेतु (जैसा है वैसा ही के आधार पर) अनुज्ञाप्ति के मंजूरी हेतु निविदा।

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति

द्वारा— अधीक्षण पुरातत्वविद्,

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण,

पटना अंचल, जे०सी० रोड, अन्टा घाट, पटना।

मैं / हमलोग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उप अंचल, कुम्हरार, पटना अंतर्गत केन्द्रीय संरक्षित स्मारक/स्थल, गोसाई खंडा, संदलपुर, पटना, बिहार स्थित तालाब में मछली पालने, पकड़ने एवं उसकी साफ सफाई हेतु ज्ञापन में अन्तर्विष्ट अवधि के लिए अनुबंध के निबंधन एवं शर्तों के साथ अनुज्ञाप्ति के मंजूरी हेतु निविदा प्रस्तुत करता हूँ / हैं।

(क) विवरण — उप अंचल, कुम्हरार, पटना अंतर्गत केन्द्रीय संरक्षित स्मारक/स्थल, गोसाई खंडा, संदलपुर, पटना बिहार स्थित तालाब में मछली पालने, पकड़ने एवं उसकी साफ—सफाई के लिए अनुज्ञाप्ति।

(ख) आरंभ — दिनांक 01.11.2021 से 31.10.2023 (दो वर्ष) तक की अवधि के लिए अनुबंध।

(ग) अर्नेस्ट मनी — रुपये 5000/- (रुपये पाँच हजार) डी०डी० सं०

(घ) निविदित राशि— अंक में ..... रुपये (शब्दों में)—

मैं / हमलोग अनुबंध के निबंधन एवं शर्तों के साथ दिनांक ..... से ..... तक की संविदा की अवधि के लिए निविदा करता हूँ/हैं।

क्रमशः

मैं/हमलोग अनुबंध के ज्ञापन में अन्तर्विष्ट निबंधन एवं शर्तों को मानने के लिए सहमत हूँ/हैं, जो मेरे / हमलोग द्वारा पूर्णरूप से पढ़ा एवं समझा गया है। भूल/चूक की स्थिति में, मेरे/हमलोगों द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि, राष्ट्रपति, भारत सरकार या उनके उत्तराधिकारी (सक्षम अधिकारी) के पक्ष में जब्त किया जाएगा। मैं / हमलोग, निविदा प्रपत्र में संलग्न अनुबंध के निष्पादन का वचन देता हूँ/हैं।

मैं/हमलोग राष्ट्रीय बैंक द्वारा प्रदत्त डी0डी0 सं0 ..... दिनांक ..... रूपये ..... का डिमाण्ड ड्राफ्ट निविदा प्रपत्र के साथ अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा कर रहा हूँ/हैं, जो अनुबंध ज्ञापन के नियम सं0 ..... के तहत तथा सफल निविदा के स्थिति में, प्रतिभूति राशि के रूप में परिवर्तित होगा जिसकी पूरी राशि, बिना किसी पूर्वाग्रह के, भारत के राष्ट्रपति या उत्तराधिकारी (सक्षम अधिकारी) के पक्ष में जब्त किया जाए।

कार्यालय, निविदा के समाप्ति की तिथि से तीन महीने की अवधि तक पुनः स्वीकार हेतु खुला रहेगा।

दिनांक:-

गवाह:-

पता एवं व्यवसाय:-

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर

स्वामित्व, बिकी की स्थिति में निविदा स्वयं स्वामी द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए या उसके द्वारा अधिकृत अटॉर्नी द्वारा। फर्म साझेदारी की स्थिति में मध्यस्थ नियम के तहत साझेदारों को आपसी अनुबंध-दस्तावेज के आधार पर, निविदा सभी साझेदारों द्वारा या उनके द्वारा अधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। यदि निविदाकर्ता/निविदाकार किसी कम्पनी के मालिक हैं तो निविदा एवं अनुबंध पर स्वयं मालिक को हस्ताक्षर करना होगा।

भारत के राष्ट्रपति की ओर से, अधीक्षण पुरातत्वविद् का कार्यालय उपरोक्त निविदा स्वीकार करता है।

### निबंधन एवं शर्तें

1. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के केन्द्रीय संरक्षित स्मारक, उप अंचल, कुम्हरार, पटना अंतर्गत केन्द्रीय संरक्षित स्मारक/स्थल, गोंसाई खंडा, संदलपुर, पटना बिहार बिहार स्थित तालाब में मछली पालने, पकड़ने एवं उसकी साफ-सफाई हेतु दिनांक 01.11.2021 से 31.10.2023 (दो वर्ष) तक की अवधि के लिए निर्धारित निविदा प्रपत्र का मूल्य 500 रुपये के साथ अनुज्ञाप्ति निर्गत हेतु मुहरबंद निविदा आवंटित करता है। निविदाकार/निविदाकर्ता को निम्नलिखित अनुबंध मान्य होगा।
2. निविदाकार/निविदाकर्ता को उप अंचल, कुम्हरार, पटना अंतर्गत केन्द्रीय संरक्षित स्मारक/स्थल, गोंसाई खंडा, संदलपुर, पटना बिहार स्थित तालाब में मछली पालने, पकड़ने एवं धास की कटाई को आरंभ करने के पूर्व उचित मुल्य के स्टाम्प पेपर के साथ लिखित अनुबंध करना होगा। स्टाम्प पेपर एवं निबंधन शुल्क का खर्च स्वयं निविदाकार द्वारा देय होगा। निविदा स्वीकार करने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर निविदाकार को अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, निविदाकार के अग्रिम राशि नियम व शर्तों के तहत जब्त कर लिया जाएगा।
3. जिस निविदाकार का निविदा स्वीकार किया जाएगा उन्हें संविदा-प्रपत्र में दर्शाये गये अनुज्ञाप्ति के शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
4. दिनांक 25.10.2021 को 10:30 बजे पूर्वाहन तक अधोहस्ताक्षरी द्वारा निविदा प्राप्त किया जाएगा तथा उसी दिन 11:00 बजे पूर्वाहन अधोहस्ताक्षरी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा निविदाकार/डाककर्ता की उपस्थिति में निविदा खोली जाएगी एवं डाककर्ता द्वारा बोली लगायी जाएगी।
5. अव्यस्क द्वारा किया गया निविदा तब तक स्वीकार नहीं होगा जबतक कि उसकी ओर से अभिभावक द्वारा निविदा हस्ताक्षरित नहीं होगा।
6. निविदाकार/निविदाकर्ता को अग्रिम राशि के रूप में किसी राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा प्रदत्त 5000/- (रुपया पाँच हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट के रूप में निविदा के साथ जमा करना होगा, जो नीलामी के उपरान्त असफल निविदाकार को वापस कर दिया जाएगा। यह अग्रिम राशि, किसी राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा प्रदत्त बैंक ड्राफ्ट अधोहस्ताक्षरी के पक्ष में देय होना चाहिए। जिस निविदाकार का निविदा स्वीकार होगा, उसके बैंक ड्राफ्ट को लौटाया नहीं जाएगा तथा उक्त डी०डी० की राशि को प्रतिभूति राशि के रूप में परिवर्तित समझा जाएगा। वैसे सफल निविदाकार की अग्रिम राशि, जो अनुज्ञाप्ति को अस्वीकार करेगा या जो अनुबंध-निष्पादन में असफल होगा या जो निविदा शुल्क जमा नहीं करेगा, जब्त कर लिया जाएगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।
7. अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त मछली पालने, पकड़ने एवं उसकी साफ-सफाई के लिए एक विशेष अवधि दिनांक 01.11.2021 से 31.10.2023 तक के लिए अनुज्ञाप्ति प्रदान की जाएगी, जो अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा।
8. निविदा अगर किसी फर्म/संस्था द्वारा प्रस्तुत की जाती है तो ऐसी स्थिति में संस्था के प्रत्येक साझेदार द्वारा निविदा हस्ताक्षरित होगा। किसी साझेदार की अनुपस्थिति में उसके द्वारा अधिकृत अटॉर्नी द्वारा निविदा हस्ताक्षरित होगा तथा संस्था के साझेदारों को स्पष्ट करना होगा कि संस्था भारतीय साझेदारी अधिनियम के तहत पंजीकृत है।
9. निविदा में दर्शाये गये राशि को अंकों एवं शब्दों में दर्शाना होगा।
10. किसी भी परिस्थिति में निविदा शुल्क में कोई छूट या रियायत नहीं दी जाएगी।



25. सूर्योदय से सूर्यस्त के बीच ही मछली पकड़ने का कार्य करना होगा। यदि निविदाकार के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई शिकायत मिलती है और अधीक्षण पुरातत्वविद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना अंचल, पटना द्वारा सही पाया जाता है तो अनुज्ञाप्ति राशि लौटाए बिना अनुज्ञाप्ति रद्द कर दी जाएगी तथा अनुज्ञाप्ति राशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।
26. निविदाकार संरक्षित क्षेत्र में खुदाई / उत्खनन कार्य नहीं करेगा, तालाब में पानी रखने हेतु कार्य के लिए अनुमति दी जाती है लेकिन 1 फीट की गहराई से अधिक के लिए नहीं। खुदाई के दौरान अगर निविदाकार को पुरातात्विक अवशेष प्राप्त होता है तो उसकी सूचना तत्काल संरक्षण सहायक/केयर टेकर को देना होगा तथा खुदाई कार्य तब तक बंद रहेगा तब तक कि स्थल का निरीक्षण कार्य पूरा नहीं हो जाएगा।
27. मछली पालने एवं पकड़ने के दौरान अगर स्मारक को कोई नुकसान होता है तो अनुज्ञाप्तिदाता द्वारा निर्धारित क्षति को निविदाकार द्वारा क्षति पूर्ति किया जाएगा।
28. चेक या नकद द्वारा भुगतान स्वीकार्य नहीं होगा। केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रदत्त बैंक ड्राफ्ट ही स्वीकार्य होगा।
29. किसी विवाद की स्थिति में विवाद महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जनपथ, नई दिल्ली को अग्रसारित किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।  
मैं, उपरोक्त निबंधन एवं शर्तों को स्वीकार करता हूँ एवं अनुपालन हेतु वचन देता हूँ।

(निविदाकार का हस्ताक्षर)

पूरा नाम एवं पता